

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.13(क)(1)गृह-2/2022

जयपुर, दिनांक:

आज्ञा

विषय:-इमरजेन्सी रेस्पॉन्स टीम (E.R.T.) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष भत्ता (E.R.T. Allowance) स्वीकृत किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इमरजेन्सी रेस्पॉन्स टीम (E.R.T.) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस विभाग की स्वीकृति क्रमांक प.1(क)(12)गृह-2/2012 दिनांक 18.06.2015 के द्वारा स्वीकृत विशेष भत्ता (E.R.T. Allowance) रु. 400/- को बढ़ाकर राशि रु. 600/- प्रतिमाह किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह आज्ञा दिनांक 01.07.2023 से प्रभावी होगी। व्यय संबंधित बजट मदों से वहन किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि की मांग संशोधित अनुमान वर्ष 2023-24 के समय की जा सकेगी।

यह आज्ञा वित्त (नियम) विभाग की आईडी संख्या 122300021 दिनांक 03.08.2023 द्वारा प्रदान की गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(जगवीर सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, गृह(पुलिस)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा- I), राजस्थान जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग।
5. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, गृह(पुलिस)

Signature valid

Digitally signed by Jagveer Singh
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2023.08.14 19:01:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4495033

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112, प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचि. जयपुर T.No. 0141-2227294/Ext. 22325,22324 (San-22/ I)



Scanned with OKEN Scanner